(आ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
व इजलास **श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)**

1. शान्तिबाई पत्नी जालिमसिंह जाति गूजर निवासी सौंहा तह0 बाडी

बनाम

1. कृष्णा पुत्र अतरसिंह जाति गूजर निवासी सौंहा तह0 बाडी
2. प्रबन्धक एस0बी0आई शाखा धौलपुर
3. तहसीलदार बाडी भूस्वामी

दावा दावत

मुकदमा नं. **10/2016**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
व हाजरी **श्री श्रीलाल रावत एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री मनीष कुमार रावत एड0**
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम सौंहा में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. शान्तिबाई पत्नी जालिमसिंह जाति गूजर सा.देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा धूलकोट धौलपुर

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1186/1	0–11	बारानी प्रथम	1.10

2. कृष्णा पुत्र अतरसिंह जाति गूजर सा.देह खातेदार राहिन एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1186/2	0–11	बारानी प्रथम	1.10

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें।

नीज ..... मुबलिग..... बाबत .....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **15** माह **07** साल **2016** को जारी की गई।

दस्तखत .....
ओहदा **उपखण्ड अधिकारी बाडी**

मुहर

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनतनामा वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बालत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील) रू0 खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

शान्तीबाई बनाम कृष्णा

1. शान्तिबाई पत्नी जालिमसिंह जाति गूजर निवासी सौंहा तह0 बाडी

वादीया :–

बनाम

1. कृष्णा पुत्र अतरसिंह जाति गूजर निवासी सौंहा तह0 बाडी

प्रतिवादी :–

2. प्रबन्धक एस0बी0आई शाखा धौलपुर
3. तहसीलदार बाडी भूस्वामी

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीया के वकील – श्री श्रीलाल रावत एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री मनीष कुमार रावत एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0 अधि0

दावा सं. 10/2016

दिनांक :– 15.07.2016

निर्णय

वादीया द्वारा उक्त उनवान का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 1186/1–02 बांके ग्राम सौंहा तह0 बाडी के खातेदार काश्तकार वादीया व प्रतिवादी है तथा मौके पर वाहमी बंटवारा के आधार पर काबिज है। विवादित आराजी में वादीया 1/2 व प्रति0 सं0 1 1/2 हिस्से पर काबिज है। वादीया व प्रतिवादी के बीच कभी कभी टकराहट हो जाती है। क्योंकि प्रतिवादी के खास परिवार के राजेन्द्र, रामभजन, रामदीन, लीलू वगै0 बिना खातेदारी के जबरन कब्जा करना चाहते है। जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादीया ने प्रतिवादी से बंटवारा कराने का आग्रह किया तो प्रतिवादी बंटवारा करने को सहमत नहीं हुआ। वादीया अकेली है तथा प्रति0 के साथ उसके परिवार के लोग है। जो प्रति0 को बंटवारा नहीं करने दे रहे है। इसलिए उन्हें जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रूकवा पाने के लिए वादीया अधिकारी व दावेदार है। बंटवारा करने से पूर्व वादीया के हिस्से की आराजी को बिना बंटवारा मुन्तकिल कर दिया जो वादीया को भारी नुकसान होगा। वादीया जरिये न्यायालय माप व सीमांकन से अपना 1/2 हिस्सा अलग कराकर उसका खाता अलग करा पाने की अधिकारी है।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादीया ने निवेदन किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 1186/1–02 में से वादीया का 1/2 हिस्सा मौके पर माप व सीमांकन द्वारा पृथक किया जाकर वादीया व प्रति0 का अलग खाता व लगान कायम किया जावे। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी व उसके लोगों को पावन्द किया जावे कि वे वगैर बंटवारा वादीया को उसके हिस्से बेदखल नहीं करें या किसी अन्य से नहीं करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात पत्रावली कोर्ट कैम्प कंचनपुर में रखी गई। प्रति0 सं0 1 ने उपस्थित कोर्ट कैम्प आकर इकबाल दावा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीया का दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी की सहमति से वादीया का दावा डिक्री किया गया तथा कोर्ट कैम्प में ही तहसीलदार बाडी से कुर्रेजात मंगाये गये। तहसीलदार बाडी ने मौके पर ही कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। जिस पर पक्षकारान ने अपनी सहमति व्यक्त की। पक्षकारान द्वारा दी गई सहमति के आधार पर प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम सौंहा में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. शान्तिबाई पत्नी जालिमसिंह जाति गूजर सा.देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा धूलकोट धौलपुर

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1186/1	0–11	बारानी प्रथम	1.10

2. कृष्णा पुत्र अतरसिंह जाति गूजर सा.देह खातेदार राहिन एस0बी0आई0 शाखा धौलपुर

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1186/2	0–11	बारानी प्रथम	1.10

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प कंचनपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी